

॥ कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर ॥

<p>प्रेस नोट दिनांक 08.12.2025 जिला भरतपुर।</p>	 <p>राजस्थान पुलिस जिला भरतपुर</p>	<p>दिगंत आनंद (IPS) जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर।</p>
<p>SP Office, Bharatpur :- E-Mail ✉: sp-bpr-rj@nic.in</p>	<p>Police Control Room ☎ : 100/112/9530411127</p>	<p>Control Room Whatsapp Helpline 8764862725</p>

05 फरार वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु 10000—10000 रुपये का ईनाम घोषित

➤ जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर श्री दिगंत आनंद (IPS) द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश एवं अपराधियों पर नियंत्रण करने हेतु निम्नलिखित गम्भीर प्रकृति के प्रकरण में फरार वांछित मुल्जिमानों की गिरफ्तारी हेतु ईनाम की घोषणा की गई है :-

जिला पुलिस अधीक्षक श्री दिगंत आनंद आईपीएस ने बताया कि भरतपुर, पुलिस थाना मथुरागेट के प्रकरण संख्या संख्या 703/25 धारा 3, 5, 21, 23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019, 3, 4 इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम अधिनियम 1978 व 318(4), 112(2) बीएनएस में वांछित फरार अपराधियों—

1. रजत शर्मा उर्फ राजेश कुमार पुत्र श्रवण कुमार निवासी 129 मुरलीपुरा स्कीम जयपुर की गिरफ्तारी हेतु **10,000/-रुपये का ईनाम घोषित** किया गया है।
2. विजय मौर्य पुत्र भानाराम मौर्य निवासी रैगर मोहल्ला वार्ड न0 4 333023 जिला झुन्झुनू की गिरफ्तारी हेतु **10,000/-रुपये का ईनाम घोषित** किया गया है।
3. सुरेन्द्र बरवार पुत्र संतलाल निवासी सूजडोला तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू की गिरफ्तारी हेतु **10,000/-रुपये का ईनाम घोषित** किया गया है।
4. सुरेन्द्र सैनी पुत्र हजारीलाल निवासी बसेरी गोदा गुरुजी बसेरी जिला झुन्झुनू की गिरफ्तारी हेतु **10,000/-रुपये का ईनाम घोषित** किया गया है।
5. ईश्वर वर्मा पुत्र सांवरमल वर्मा निवासी श्रीमालों का मोहल्ला वार्ड न, 35 झुन्झुनू की गिरफ्तारी हेतु **10,000/-रुपये का ईनाम घोषित** किया गया है।

WANTED



इनामी अपराधी रजत शर्मा उर्फ राजेश

WANTED



इनामी अपराधी विजय मौर्य पुत्र भानाराम मौय

WANTED



इनामी अपराधी सुरेन्द्र बरवार पुत्र संतलाल

WANTED



इनामी अपराधी सुरेन्द्र सैनी पुत्र हजारीलाल

WANTED



इनामी ईश्वर वमा पुत्र सांवरमल

- इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम अधिनियम 1978 व 318(4), 112(2) बीएनएस में वांछित फरार उक्त अपराधियों के विरुद्ध जिले के भिन्न-भिन्न पुलिस थानों (कोतवाली, बयाना, हलैना) में विभिन्न प्रकदण दर्ज हैं।
- फरार वांछित अपराधियों के बारे में जानकारी देने वाले का नाम, पता व पहचान गोपनीय रखी जायेगी।
- पारतोषिक वितरण के सम्बन्ध में जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर का निर्णय अन्तिम होगा।

जिला पुलिस भरतपुर।